



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccfdevjkh@jharkhandmail.gov.in, Ph & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-13/2017- 417 दिनांक : 27.03.2018

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियोजित दैनिक मजदूरों की मजदूरी भुगतान हेतु कुल **रु0 158345/- लाख (एक लाख अन्ठावन हजार तीन सौ पैतालीस रुपये)** मात्र राशि का अतिरिक्त ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-21/2017-16/स्वी0 व0प0 दिनांक 26.05.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-21/2017-52/आ0 व0प0 दिनांक 31.05.2017, इस कार्यालय का पत्रांक-920 दिनांक-20.07.2017, पत्रांक-1068 दिनांक-18.08.2017 एवं पत्रांक-1622 दिनांक-07.12.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में उप वन संरक्षक, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, राँची के कार्यालय में कार्यरत चार दैनिक वेतनभोगी के लिए मजदूरी मद में **82,433/- (बेरासी हजार चार सौ तैंतीस रुपये)** एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी, योजना अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रमंडल, राँची के दो दैनिक मजदूर के लिए **75912/- (पचहत्तर हजार नौ सौ बारह रुपये)** कुल **158345/- लाख (एक लाख अन्ठावन हजार तीन सौ पैतालीस रुपये)** मात्र का उप-आवंटन किया जा रहा है ।

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन्यप्राणी प्रमंडल, राँची होंगे । ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में द्रष्टव्य है ।

3. पूर्व उप-आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप-आवंटन है । पूर्व उप-आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची ।

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-13/2017- 417 दिनांक- 27.03.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-13/2017- 417 दिनांक- 27.03.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश


झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01YB-13/2017/417

दिनांक - 27-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	110747	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	158,345.00 रुपये एक लाख अठावन हजार तीन सौ पैतालीस
	State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA			




योग:

158,345.00

क्रमिक योग:

रुपये एक लाख अठावन हजार तीन सौ पैतालीस


(SHRI SATNAM SINGH)
ADDL. P.S. PHAWANARSHAND
RANCHI